



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि. समाप्त/वि.अ/2010/ 1485 जयपुर, दिनांक:- 13/7/16

**—:आदेश:—**

श्री महेश चन्द मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति झोथरी जिला डूंगरपुर की पूर्णतः तदर्थ आधार पर विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (आयुर्वेद विभाग) को लौटायी जाकर श्री मीणा को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में अपना कार्यभार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों में से वरियता के क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
7. शासन उप सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
9. जिला कलक्टर डूंगरपुर।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति झोथरी जिला डूंगरपुर।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
14. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)